भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4420

23 मार्च, 2021 के लिए प्रश्न

एफसीआई को एनएसएसएफ ऋण का बंद किया जाना

4420. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य राजसहायता के लिए एफसीआई को राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) ऋण को बंद करने का है और तदनुसार बजट प्रावधान भी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की क्या राय है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): जी हां। बजट अभिभाषण 2021-22 के पैरा 143 में यह प्रस्ताव किया गया है कि खाद्य राजसहायता के लिए भारतीय खाद्य निगम को दिए जाने वाले राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) ऋण को बंद कर दिया जाए और तदनुसार संशोधित अनुमान 2020-21 तथा बजट अनुमान 2021-22 में बजट प्रावधान किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्य राजसहायता हेतु संशोधित अनुमान 2020-21 में बजट प्रावधान बढ़ाकर 3,44,077 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि 2020-21 का बजट अनुमान 77,983 करोड़ रुपये था। बजट अनुमान 2021-22 में इस प्रयोजनार्थ 2,02,616 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। वस्तुतः भारत सरकार द्वारा एनएसएसएफ ऋण केवल भारतीय खाद्य निगम को दिया जाता है और राज्य सरकारों को नहीं दिया जाता है।

*****